

आदेश


राजस्थान अभियांत्रिकी सेवायें (भवन एवं पथ) नियम, 1954 के नियम 24 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित अधीक्षण अभियंतागण(सिविल) को वर्ष 2019-20 में इनके नाम के सम्मुख अंकित रिवित की तिथि से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता(सिविल) के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्रम सं.	नाम (सर्व श्री)	रिवित की तिथि
1	श्री मांगे लाल मीणा(अनु.जनजाति)	01.04.2019
2	श्री सुरेश कुमार वैरवा(अनु.जाति)	01.04.2019
3	श्री चाबूलाल वैरवा(अनु.जाति)	01.04.2019
4	श्री तारा चन्द गुप्ता	01.04.2019
5	श्री सुनील जयसिंह	01.04.2019
6	श्री मुकेश चन्द्र भाटी	01.04.2019
7	श्री सुधीर माथुर	01.04.2019
8	श्री संजय भार्गव	01.04.2019
9	श्री सुनील सक्सैना	01.06.2019
10	श्री विनोद कुमार सिंह	01.07.2019
11	श्री सुधीर गर्ग	01.07.2019
12	श्री संजय सक्सैना	01.10.2019
13	श्री अविनाश शर्मा	01.01.2020

श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री के.सी.जैन के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2017 को आरोप पत्र जारी किये जाने के कारण इनका चयन परिणाम बन्द लिफाफे में रखे जाने की अभिशंषा की गई है।


उक्त पदोन्नत अभियंताओं के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

  
(प्रिजेन्द्र सिंह परमार)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, सा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. मुख्य अभियंता एवं अति. सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित अधिकारीगण।
8. रक्षित पत्रावली।

  
16/7/19  
संयुक्त शासन सचिव